बड़े सपनों का रखे ख़्याल

एलआईसी की

अमृतबाल

एलआईसी की अमृतबाल

यूआइएन: 512N365V01
प्लान नं. 874

बच्चों के लिये बीमा योजना

प्रॉडक्ट की मुख्य विशेषताएँ

- पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान आकर्षक गारंटीड एडीशन्स
- परिपक्वता की उम्र 18-25 वर्ष
- एकल/सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प

यह प्लान बिक्री के लिये ऑनलाइन भी उपलब्ध है

एक नॉन-लिंक्ड, असहभागी, व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना

LIC/R1/2023-24/25/HIN

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC मोबाइल ऐप डाउनलोड करें | विज़िट करें: licindia.in | कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम **56767474** पर एसएमएस करें | हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

नकली फोन कॉल्स और झूठे/धोखाधड़ी पूर्ण ऑफ़र्स से सावधान रहें. आईआरडीएआई जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों के निवेश जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है. ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएँ. **बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें.**

एलआईसी की अमृतबाल (UIN: 512N365V01) (एक असंबद्ध, असहभागी, व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना)

एलआईसी की अमृतबाल एक असंबद्ध, असहभागी, व्यक्तिगत बचत, जीवन बीमा योजना है। इस योजना को आपके बच्चे की उच्च शिक्षा तथा अन्य ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाने के लिए खासतौर से बनाया गया है। यह गारंटीड एडीशन्स के ज़रिए पूंजी जमा करने में मदद करता है।

यह एक असहभागी योजना है जिसके अंतर्गत मृत्यु होने या जीवित रहने पर मिलने वाले हितलाभों की गारंटी है तथा निश्चित राशि दी जाती है, वास्तविक अनुभव के बावजूद भी। अत: यह पॉलिसी कोई विवेक आधारित हितलाभ जैसे कि बोनस आदि या अधिशेष राशि में हिस्सा नहीं प्रदान करती है।

इस योजना को ऑफ़लाइन लाइसेंस प्राप्त एजेन्ट्स, कॉर्पोरेट एजेन्ट्स ब्रोकर्स, इंश्योरेन्स मार्केटिंग फर्म्स, पॉइन्ट ऑफ़ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेन्स (POSP-LI)/कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर्स (CPSC-SPV) तथा ऑनलाइन सीधे वेबसाइट www.licindia.in के ज़रिए खरीदा जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं :

- पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान प्रति हजार बीमा राशि पर ₹80 का गारण्टीड एडीशन।
- आपके बच्चे की ज़रूरतों के अनुसार जीवन बीमा सुरक्षा चुनने का विकल्प।
- विकल्प
  - एकल प्रीमियम तथा सीमित प्रीमियम भुगतान में से चुनें।
  - अपने बच्चे की विभिन्न ज़रूरतों के अनुसार 18 से 25 वर्ष तक की परिपक्वता की उम्र चुनें।
  - हितलाभ को किस्तों में चुनने का विकल्प।
- अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर को चुनने का विकल्प।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- लोन सुविधा के ज़रिए नकदीकरण की ज़रूरतों का खयाल।

2. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध :

i.	प्रवेश की न्यूनतम उम्र	0 वर्ष (30 दिन पूरे किए हों)
ii.	प्रवेश की अधिकतम उम्र	13 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
iii.	परिपक्वता की न्यूनतम उम्र	18 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
iv.	परिपक्वता की अधिकतम उम्र	25 वर्ष (पिछला जन्मदिन)
v.	पॉलिसी की न्यूनतम अवधि	सीमित प्रीमियम भुगतान : 10 वर्ष एकल प्रीमियम भुगतान : 5 वर्ष
vi.	पॉलिसी की अधिकतम अवधि	सीमित प्रीमियम भुगतान : 25 वर्ष एकल प्रीमियम भुगतान : 25 वर्ष अगर पॉलिसी को POSP-LI/CPSC-SPV के ज़रिए प्राप्त किया जाता है : 20 वर्ष
vii.	प्रीमियम की भुगतान अवधि	सीमित प्रीमियम भुगतान : 5, 6 और 7 वर्ष एकल प्रीमियम भुगतान : एकल भुगतान
viii.	न्यूनतम बीमा राशि	₹2,00,000/–

ix.	अधिकतम मूल बीमा राशि	कोई सीमा नहीं, जोखिमांकन निर्णय के अधीन* (*अधिकतम मूल बीमा राशि बोर्ड द्वारा स्वीकृत जोखिमांकन नीति के अनुसार लिए गए जोखिमांकन निर्णय पर निर्भर करेगी।)
x.	मूल बीमा राशि गुणक	मूल बीमा राशि नीचे उल्लेख की गई राशियों के गुणकों के रूप में होगी:

मूल बीमा राशि की श्रेणी	बीमा राशि गुणक (₹)
₹2,00,000 से ₹24,00,000	25,000/-
₹24,00,000 से अधिक	50,000/-

जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि: यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम है, तो जोखिम या तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष पूर्ण होने से, या 8 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के साथ या उसके तुरंत बाद पॉलिसी वर्षगाँठ से, जो भी पहले हो, प्रारंभ होगा। जिनकी उम्र प्रवेश के समय 8 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि के साथ ही जोखिम प्रारंभ हो जाएगा।

योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि: पॉलिसी 18 वर्ष की उम्र पूरे करने के साथ या तुरन्त उसके बाद के पॉलिसी वर्षगांठ पर पॉलिसी अपने आप बीमित व्यक्ति पर निहित हो जाएगी और उसे निगम तथा बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध माना जाएगा।

3. हितलाभ:

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

ए. मृत्यु हितलाभ :

प्रस्तावक के पास एकल प्रीमियम तथा सीमित प्रीमियम भुगतान प्रत्येक के अंतर्गत उपलब्ध दो विकल्पों के अनुसार **"मृत्यु पर बीमा राशि"** चुनने का विकल्प होगा।

आपको अपने बच्चे की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकल्पों का चयन सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि चुने गए प्लान के अनुसार प्रीमियम तथा हितलाभों में भिन्नता होगी तथा इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है ।

प्रीमियम भुगतान	विकल्प	मृत्यु पर बीमा राशि
सीमित प्रीमियम भुगतान	विकल्प I	इनमें से जो भी ज़्यादा हो • वार्षिकीकृत प्रीमियम का 7 गुना; या • मूल बीमा राशि
	विकल्प II	इनमें से जो भी ज़्यादा हो • वार्षिकीकृत प्रीमियम का 10 गुना; या • मूल बीमा राशि
एकल प्रीमियम भुगतान	विकल्प III	इनमें से जो भी ज़्यादा हो • एकल प्रीमियम का 1.25 गुना; या • मूल बीमा राशि
	विकल्प IV	एकल प्रीमियम का 10 गुना

नोट : उपरोक्त वर्णित सारणी में,

i. "वार्षिक प्रीमियम" पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

ii. ''एकल प्रीमियम'' पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई प्रीमियम राशि होगी, जिसमें टैक्स, राइडर प्रीमियम्स, जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, अगर कोई हों, तो वे शामिल नहीं हैं।

जोखिम के आरंभ होने के बाद तथा परिपक्वता की तिथि से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अर्जित गारंटीड एडीशन्स के साथ **''मृत्यु पर बीमा राशि''** का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो।

''मृत्यु पर बीमा राशि'' चुने गए विवरण के अनुसार होगी, जिसका विवरण ऊपर सारणी में दिया गया है।

सीमित प्रीमियम भुगतान (विकल्प I व II) के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक ''अदा किए गए कुल प्रीमियम्स'' के 105% से कम नहीं होगा। जहां, ''अदा किए गए कुल प्रीमियम्स'' का अर्थ प्राप्त कुल प्रीमियम्स के योगफल से है जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम, कोई राइडर प्रीमियम तथा टैक्स शामिल नहीं है। अगर एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर चुना गया है, तो प्रस्तावक की मृत्यु की दशा में, कोई भी बाद के प्रीमियम्स माफ कर दिए जाएंगे तथा उन्हें प्राप्त किया तथा अदा किए गए कुल प्रीमियम्स में शामिल माना जाएगा।

लेकिन अवयस्क बीमित व्यक्ति के मामले में, जहां प्रवेश करने की उम्र 8 वर्ष से कम है, जोखिम के आरंभ होने से पहले मृत्यु होने पर (जैसा कि पैरा 2 में उल्लेख किया गया है), मृत्यु हितलाभ की राशि, अदा किए गए प्रीमियम (कर, अतिरिक्त प्रीमियम तथा राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो को छोड़कर) को, बिना किसी ब्याज, लौटाना होगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो।

मृत्यु हितलाभ का भुगतान ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार एकमुश्त तथा/या किस्तों में किया जाएगा, (जैसा कि नीचे पैरा 4.III में विनिर्धारित किया गया है)।

बी. परिपक्वता हितलाभ :

परिपक्वता की निर्धारित तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** का प्रभावी पॉलिसी के लिए अर्जित गारण्टीड एडीशन्स के साथ भुगतान किया जाएगा; जहां, ''परिपक्वता पर बीमा राशि'' मूल बीमा राशि के समान है।

सी. चालू पॉलिसी के लिए अर्जित गारण्टीड एडीशन्स :

चालू पॉलिसी के अंतर्गत, शूरूआत से लेकर पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में प्रत्येक हजार मूल बीमा राशि पर ₹80 की दर से गारंटीड एडीशन्स देय होगा।

चालू पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु के वर्ष गारंटीड एडीशन्स का भुगतान पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए किया जाएगा।

चालू पॉलिसी को अभ्यर्पित किए जाने पर, जिस वर्ष पॉलिसी को अभ्यर्पित किया गया है, के लिए गारंटीड एडीशन्स को अभ्यर्पित वर्ष के पूर्ण महीनों के लिए समानुपाती आधार पर जोड़ा जाएगा।

4. उपलब्ध विकल्प:

I. राइडर हितलाभ :

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर सीमित प्रीमियम भुगतान (विकल्प I और विकल्प II) के अंतर्गत निम्नलिखित वैकल्पिक राइडर उपलब्ध है।

एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (UIN: 512B204V03):

किसी चालू पॉलिसी के अंतर्गत, किसी भी समय पॉलिसी के प्रस्तावक (क्योंकि बीमित व्यक्ति अवयस्क है) के जीवन पर इस राइडर को पॉलिसी वर्षगांठ के समय, लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लिया जा सकता है, बशर्ते मूल पॉलिसी तथा राइडर की प्रीमियम भरने की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। साथ ही पॉलिसी के

अंतर्गत इस राइडर को लेने की वहां अनुमति होगी जहां इस राइडर को लेते समय बीमित व्यक्ति अवयस्क है। राइडर की अवधि इस राइडर को चुनने की तिथि को मूल पॉलिसी की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि या (25 – राइडर लेते समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की उम्र) से जो भी कम हो, होगी। अगर राइडर की अवधि और प्रस्तावक की उम्र 70 वर्ष से अधिक हो तो राइडर की अनुमति नहीं होगी।

अगर इस राइडर को लिया जाता है तो, प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि के बाद से राइडर अवधि की समाप्ति तक देय होने वाले प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा।

एलआईसी के प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर के लिए प्रीमियम मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगा। साथ ही राइडर बीमा राशि मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

उपरोक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के नजदीक शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

POSP-LI/CPSC-SPV के ज़रिए ली गई पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा.

II. किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प: :

यह मृत्यु हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 या 10 या 15 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि का परम मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किए गए चयन के अनुसार, किश्तों का अग्रिम भुगतान वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किश्त की न्यूनतम राशि निम्न प्रकार होगी:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	₹ 5,000/–
त्रैमासिक	₹ 15,000/–
अर्ध–वार्षिक	₹ 25,000/–
वार्षिक	₹ 50,000/–

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार वांछित राशि, न्यूनतम किश्त की राशि से कम है तो दावे की प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किश्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किश्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्ष अर्ध–वार्षिक जी–सेक दर में से 200 आधार अंक कम करके, उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्ष अर्ध–वार्षिक जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार होगी।.

तदनुसार, 1 मई, 2023 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2024 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किश्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.31% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

परिपक्वता हितलाभ में निपटान विकल्प का इस्तेमाल करना, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की देय तिथि से कम से कम 3 माह पहले, किस्तों में दावे की कुल राशि को पाने के लिए विकल्प को चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चुने हुए किस्त भुगतान के माध्यम के अनुसार परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक महीने या त्रैमासिक या अर्ध–वार्षिक या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद:

i. अगर किसी बीमित व्यक्ति ने जिसने परिपक्वता हितलाभ के निपटान विकल्प पर अमल किया है, अब उस विकल्प को वापस लेकर बकाया किस्तों को एक साथ लेना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से इस बारे में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति होगी। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि जो कि निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के समान होगी तथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा,

   - भविष्य में देय सभी किस्तों का रियायती मूल्य; या
   - (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प पर अमल किया गया था) – (अदा की जा चुकी किस्तों का योगफल)

ii. भविष्य की किस्तों के भुगतान पर रियायत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लागू ब्याज दर, वार्षिक प्रभावी दर होगी जो कि 10 वर्षीय छमाही जी–सेक दर से अधिक नहीं होगी; जहां 10 वर्षीय छमाही जी–सेक दर पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी, जिसके दौरान निपटान विकल्प पर अमल किया गया था।

   तद्नुसार,1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, भविष्य की किस्तों पर रियायत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.31% वार्षिक प्रभावी होगी।

iii. परिपक्वता की तिथि के पश्चात, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जिसने निपटान विकल्प चुना हो, बकाया किस्तों का भुगतान नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, बिना किसी बदलाव किया जाता रहेगा, और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा।

III. मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प:

यह किसी चालू और साथ ही साथ चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि लेने के 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो निश्चित मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किए गए चयन के अनुसार, किश्तों का अग्रिम भुगतान वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किश्त की न्यूनतम राशि निम्न प्रकार होगी:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	₹ 5,000/–
त्रैमासिक	₹ 15,000/–
अर्ध–वार्षिक	₹ 25,000/–
वार्षिक	₹ 50,000/–

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार वांछित राशि, न्यूनतम किश्त की राशि से कम है तो दावे की प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किश्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किश्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्ष अर्ध–वार्षिक जी–सेक दर में से 200 आधार अंक कम करके, उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 10 वर्ष अर्ध–वार्षिक जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2023 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2024 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किश्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.31% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने हेतु, बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान इस विकल्प का प्रयोग, पॉलिसी के चालू रहते हुए, उस शुद्ध दावा राशि को निर्दिष्ट करते हुए किया जा सकता है, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है। इसके बाद बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को मृत्यु दावा राशि का भुगतान किया जाएगा और इसमें नामांकित व्यक्ति को किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

5. प्रीमियमों का भुगतान :

इस योजना के अंतर्गत एकल प्रीमियम भुगतान या सीमित प्रीमियम भुगतान के विकल्प उपलब्ध हैं। सीमित प्रीमियम भुगतान के मामले में प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक अंतराल पर (मासिक प्रीमियम केवल एनएसीएच के ज़रिए) या वेतन से कटौतियों के ज़रिए नियमित रूप से किया जा सकता है।

6. अनुग्रह अवधि (केवल विकल्प I तथा विकल्प II के मामले में लागू) :

भुगतान न हुए प्रीमियम की पहली तिथि से मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन तथा वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिन की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा–सुरक्षा के साथ प्रभावी मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि उन हितलाभ प्रीमियमों के लिए भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय हैं।

7. प्रीमियम के नमूने का उदाहरण :

सीमित तथा एकल प्रीमियम भुगतान विकल्पों के अंतर्गत उम्र 5 वर्ष तथा पॉलिसी अवधि 20 वर्ष के मानक जीवनों के लिए ₹5 लाख की मूल बीमा राशि की ऑफलाइन बेची जाने वाली पॉलिसियों हेतु वार्षिक प्रीमियमों का उदाहरण निम्नानुसार है :

सीमित प्रीमियम :

प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्षों में)	सीमित प्रीमियम (₹ में)	
	विकल्प I	विकल्प II
5	99,625	1,00,100
6	84,275	84,625
7	73,625	73,900

एकल प्रीमियम :

प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्षों में)	एकल प्रीमियम (₹ में)	
	विकल्प III	विकल्प IV
एकल भुगतान	3,89,225	4,12,600

उपरोक्त प्रीमियमों में टैक्स शामिल नहीं है।

8. प्रीमियम रुपांतरण घटक (केवल विकल्प I और विकल्प II के मामले में लागू) :

प्रीमियम भुगतान के विभिन्न माध्यमों हेतु लागू प्रीमियम रुपांतरण घटक निम्न अनुसार हैं :

प्रीमियम भुगतान का माध्यम	प्रीमियम रुपांतरण घटक
वार्षिक	1.0000
अर्ध–वार्षिक	0.5090
त्रैमासिक	0.2568
मासिक	0.0861

9. छूट:

I. उच्च मूल बीमा राशि के लिए छूट:

उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रीमियम दर में छूट मूल बीमा राशि के चार स्लैब्स i) ₹3,50,000 से ₹4,75,000 ii) ₹5,00,000 से ₹9,75,000 iii) ₹10,00,000 से ₹24,50,000 व iv) ₹25,00,000 व अधिक पर दी गई है। उच्च मूल बीमा राशि के लिए छूट मूल बीमा राशि के स्लैब, प्रवेश की उम्र तथा परिपक्वता की उम्र पर निर्भर करती है। मूल बीमा राशि जैसे–जैसे मूल बीमा राशि के निचले स्लैब से उच्च स्लैब पर जाती है छूट की राशि बढ़ती जाती है।

II. ऑनलाइन बिक्री के अंतर्गत छूट :

एजेन्ट/मध्यावर्ती की मदद के बिना ऑनलाइन बिक्री के अंतर्गत पूरे किए गए प्रस्ताव के लिए छूट निम्नलिखित दरों पर लागू होगी.

प्रीमियम भुगतान	ऑनलाइन बिक्री छूट (सारणीबद्ध वार्षिक/एकल प्रीमियम के % के रूप में)
सीमित प्रीमियम	10%
एकल प्रीमियम	2%

10. पुर्नचलन (केवल विकल्प I तथा विकल्प II के मामले में लागू) :

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। एक कालातीत पॉलिसी को भुगतान नहीं की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो, पुर्नचलित करवाया जा सकता है। यह पुनर्चलन समय–समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्ध–वार्षिक) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं जीवन बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर चुना गया हो) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर प्रभावी होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, दस्तावेजों और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रदान किया जाता है।

निगम द्वारा किसी बंद पॉलिसी के पुर्नचलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। बंद हो चुकी पॉलिसी का पुर्नचलन तभी प्रभावी होगा, जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित एवं स्वीकृत कर लिया जाता है और पुर्नचलन की रसीद जारी कर दी जाती है।

इस उत्पाद के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए पुर्नचलन के लिए लागू ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार 10 वर्ष जी–सेक दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध–वार्षिक एवं 300 आधार अंक के योग या निगम के असंबद्ध, असहभागी फंड पर अर्जित लाभ एवं 100 आधार अंक के

योग में से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2024 तक की 12 महीने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी पुर्नचलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण के आधार में कोई भी बदलाव अनुमोदन के अधीन है।

कालातीत या चुकता पॉलिसी के पुर्नचलन पर,पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ, जो कि पॉलिसी के कालातीत या चुकता होने की तिथि से पहले उपलब्ध थे,पुन:स्थापित हो जाएंगे।

हितलाभ(भों) के पुनर्चलन, यदि इसे चुना गया हो, को मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही माना जाएगा, अलग से नहीं.

11. POSP-LI तथा CPSC- SPV के ज़रिए खरीदी गई योजना:

इस योजना को POSP-LI और CPSC-SPV के ज़रिए खरीदा जा सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में पात्रता की शर्तें तथा लागू अन्य शर्तें और प्रतिबंध आईआरडीएआई द्वारा पीओएस प्लान्स तथा POSP-LI को लागू दिशानिर्देशों, परिपत्रों तथा विनियमों के अनुसार होंगी। वर्तमान में POSP-LI और CPSC-SPV के ज़रिए प्राप्त किए गए प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं :

- POSP-LI/CPSC-SPV माध्यम से बिक्री के लिए विकल्प IV उपलब्ध नहीं होगा।
- पॉलिसी की अधिकतम अवधि : 20 वर्ष
- मृत्यु पर अधिकतम बीमा राशि (प्रति जीवन) : ₹25 लाख

एलआईसी की अमृतबाल असंबद्ध, असहभागी, बंदोबस्ती श्रेणी के पीओएस लाइफ़ प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है, अगर इसे POSP-LI या CPSC-SPV के ज़रिए खरीदा गया हो। असंबद्ध, असहभागी, बंदोबस्ती प्रोडक्ट्स की इस श्रेणी में सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी पॉलिसियों के संदर्भ में प्रत्येक मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि ₹25 लाख होगी, अगर उन्हें POSP-LI व CPSC-SPV चैनल (दोनों शामिल) के ज़रिए खरीदा गया हो।

तथापि, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि का निर्धारण, निगम की जोखिमांकन नीति के साथ इस उत्पाद के अंतर्गत गैर–चिकित्सीय सीमाओं के अनुसार किया जाएगा।

- POSP-LI व CPSC-SPV के ज़रिए प्राप्त की गई पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगी।
- अगर बिक्री की शुरूआत POSP-LI तथा CPSC-SPV के द्वारा की जाती है तो एलआईसी की अमृतबाल हेतु लागू विशेषता दस्तावेज (केएफडी) व प्रस्ताव प्रपत्र इस्तेमाल किया जाएगा।

12. चुकता मूल्य (केवल विकल्प I तथा विकल्प II के मामले में लागू) :

यदि पूरे दो वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा तथा भुगतान किए गए प्रीमियम को भी लौटाया नहीं जाएगा।

यदि कम से कम दो पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूर्णत: अमान्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक चुकता पॉलिसी के रूप में कायम रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **मृत्यु पर बीमा राशि** घटकर एक ऐसी राशि हो जाएगी जिसे **"मृत्यु पर चुकता बीमा राशि"** कहा गया है और वह **मृत्यु पर बीमा राशि** गुणित उस कुल अवधि के अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे, के बराबर होगी।

बीमित व्यक्ति की **मृत्यु पर चुकता पॉलिसी** के लिए मृत्यु पर चुकता बीमा राशि (जैसा की नीचे बताया गया है) के साथ–साथ अर्जित गारंटीड एडीशन्स का भी भुगतान किया जाएगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता पर **परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि** घटकर एक ऐसी राशि हो जाएगी जिसे **"परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि"** कहा गया है और वह **परिपक्वता पर बीमा राशि** गुणित उस कुल अवधि के अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे, के बराबर होगी।

परिपक्वता पर चुकता पॉलिसी के लिए परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि (जैसा की नीचे बताया गया है) के साथ–साथ अर्जित गारंटीड एडीशन्स का भी भुगतान किया जाएगा।

चुकता पॉलिसी के लिए गारंटीड एडीशन्स :

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीड एडीशन्स निम्नलिखित के योगफल के समान होगा:

(i) जिन वर्षों के लिए पूरे प्रीमियम्स का भुगतान किया गया है,अर्जित गारंटीड एडीशन्स।

(ii) जिस पॉलिसी वर्ष के लिए पूरे वर्ष के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है (जिस वर्ष पॉलिसी ने चुकता पॉलिसी का रूप ले लिया है), उस वर्ष के लिए गारंटीड एडीशन्स प्रभावी अवधि हेतु समानुपाती गारंटीड एडीशन्स के योगफल के लिए प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत लागू दर से होगा तथा उस पॉलिसी वर्ष में जब पॉलिसी चुकता है समानुपाती गारंटीड यथा लागू घटी हुई गारंटीड एडीशन्स दर से होगा (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है)।

(iii) बाद के पॉलिसी वर्षों के लिए पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में घटा हुआ गारंटीड एडीशन्स (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है) अर्जित होगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत घटा हुआ गारंटीड एडीशन्स (प्रति हजार मूल बीमा राशि) प्रीमियम भुगतान करने की अवधि तथा उन पॉलिसी वर्षों की संख्या, जिनके लिए पूरे वर्ष के प्रीमियमों का भुगतान किया है, पर निर्भर करेगी तथा निम्नानुसार होगी :

पॉलिसी वर्षों की संख्या, जिनके लिए पूरे वर्ष के प्रीमियम्स का भुगतान किया है	प्रति ₹1000 मूल बीमा राशि हेतु घटा हुआ गारंटीड एडीशन्स (₹ में)		
	पीपीटी(5 वर्ष)	पीपीटी(6 वर्ष)	पीपीटी(7 वर्ष)
2	15.00	9.00	6.00
3	33.00	23.00	16.00
4	54.00	39.00	28.00
5	–	57.00	42.00
6	–	–	58.00

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण या मृत्यु के मामले में, घटा हुआ गारंटीड एडीशन्स, जिस वर्ष पॉलिसी को अभ्यर्पित किया गया था या वह मृत्यु दावे में परिणत हुई थी, उस पॉलिसी वर्ष के पूर्ण महीनों के लिए जब पॉलिसी को अभ्यर्पित किया गया हो या मृत्यु के दावे में वह परिणत हुई हो (अर्थात मृत्यु की तिथि तक की अवधि) के हिस्से के समानुपाती आधार पर जोड़ा जाएगा।

अगर पॉलिसी कालातीत अवस्था में हो तो राइडर कोई चुकता मूल्य नहीं अर्जित करेगी तथा राइडर हितलाभ समाप्त हो जाएंगे।

13. अभ्यर्पण

सीमित प्रीमियम भुगतान (विकल्प I और विकल्प II) के अंतर्गत पॉलिसीधारक द्वारा

पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते दो पूरे वर्षों के प्रीमियम्स का भुगतान किया गया हो। एकल प्रीमियम भुगतान (विकल्प III और विकल्प IV) के अंतर्गत पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को अभ्यर्पित किया जा सकता है।

पॉलिसी के अभ्यर्पण पर गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) या विशेष अभ्यूर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक हो उसका भुगतान किया जाएगा।

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य(जीएसवी)

ए) एकल प्रीमियम भुगतान (विकल्प III और विकल्प IV) के अंतर्गत

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य निम्नानुसार होगा :

– पहले तीन पॉलिसी वर्षों के दौरान: अदा किए गए एकल प्रीमियम का 75%

– तीसरे पॉलिसी वर्ष के बाद: अदा किए गए एकल प्रीमियम का 90%

ऊपर संदर्भित एकल प्रीमियम में टैक्स, राइडर प्रीमियम/म्स तथा अतिरिक्त प्रीमियम, अगर कोई हो तो शामिल नहीं होगा।

साथ ही, अर्जित गारंटीड एडीशन्स का अभ्यर्पण मूल्य, अगर कोई हो, जैसे कि अर्जित गारंटीड एडीशन्स से गुणित अर्जित गारंटीड एडीशन्स को लागू जीएसवी घटक भी देय होगा।

बी) सीमित प्रीमियम भुगतान(विकल्प I और विकल्प II) के अंतर्गत:

देय गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य, (कुल भुगतान किए गए प्रीमियम्स (किसी अतिरिक्त प्रीमियम,राइडर प्रीमियम, अगर चुना गया हो तथा टैक्स को छोड़कर) X अदा किए गए कुल प्रीमियम्स पर लागू जीएसवी घटक) तथा (अर्जित गारण्टीड एडीशन्स X (अर्जित गारण्टीड एडीशन्स X अर्जित गारण्टीड एडीशन्स पर लागू गारंटीड मूल्य घटक) से आने वाली राशि के समान होगा.

ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक कुल प्रीमियम्स पर लागू हैं तथा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और ये पॉलिसी अवधि तथा पॉलिसी के अभ्यर्पण करने के वर्ष पर निर्भर करेंगे. इन्हें नीचे दिए गए अनुसार विनिर्धारित किया गया है:

Guaranteed Surrender Value factors (For Limited Premium) applicable to total premiums paid

Policy Year	Policy Term →															
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	65.00%	60.00%	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%	52.31%	52.14%	52.00%	51.88%	51.76%
9	90.00%	70.00%	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%	54.62%	54.29%	54.00%	53.75%	53.53%
10	90.00%	90.00%	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%	56.92%	56.43%	56.00%	55.63%	55.29%
11		90.00%	90.00%	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%	59.23%	58.57%	58.00%	57.50%	57.06%
12			90.00%	90.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%	61.54%	60.71%	60.00%	59.38%	58.82%
13				90.00%	90.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%	63.85%	62.86%	62.00%	61.25%	60.59%
14					90.00%	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%	66.15%	65.00%	64.00%	63.13%	62.35%
15						90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%	68.46%	67.14%	66.00%	65.00%	64.12%
16							90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%	70.77%	69.29%	68.00%	66.88%	65.88%
17								90.00%	90.00%	77.27%	75.00%	73.08%	71.43%	70.00%	68.75%	67.65%
18									90.00%	90.00%	77.50%	75.38%	73.57%	72.00%	70.63%	69.41%
19										90.00%	90.00%	77.69%	75.71%	74.00%	72.50%	71.18%
20											90.00%	90.00%	77.86%	76.00%	74.38%	72.94%
21												90.00%	90.00%	78.00%	76.25%	74.71%
22													90.00%	90.00%	78.13%	76.47%
23														90.00%	90.00%	78.24%
24															90.00%	90.00%
25																90.00%

ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक कुल प्रीमियम्स पर लागू हैं तथा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और ये पॉलिसी अवधि तथा पॉलिसी के अभ्यर्पण करने के वर्ष पर निर्भर करेंगे। इन्हें नीचे दिए गए अनुसार विनिर्धारित किया गया है:

Guaranteed Surrender Value factors applicable to accrued Guaranteed Additions

Policy Year	Policy Term →																			
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%
2	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%
3	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%
4	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%
5	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%
6		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%
7			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%
8				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
9					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
10						35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
11							35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
12								35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
13									35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
14										35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
15											35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
16												35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
17													35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
18														35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
19															35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
20																35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
21																	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
22																		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
23																			35.00%	30.00%	27.06%
24																				35.00%	30.00%
25																					35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य समीक्षाधीन है तथा इसकी गणना निगम द्वारा समय-समय पर आईआरडीएआई की पूर्व स्वीकृति के अधीन की जाएगी।

राइडर, अगर हो, पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी तथा कोई आगामी हितलाभ देय नहीं होंगे।

14. पॉलिसी ऋण :

पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत, ऋण लिया जा सकता है:

i. सीमित प्रीमियम अवधि (विकल्प I व विकल्प II) के अंतर्गत, ऋण उपलब्ध होगे, बशर्ते कम से कम दो पूरे वर्षों के प्रीमियम्स का भुगतान किया गया हो। एकल प्रीमियम अवधि (विकल्प III व विकल्प IV) के अंतर्गत, पॉलिसी के तीन महीने पूरे होने (अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि से 3 महीने) के बाद या फ्री-लॉक अवधि समाप्त होने, जो भी बाद में हो, ऋण उपलब्ध होंगे।

ii. अधिकतम लोन निम्नानुसार प्रदान किया जा सकता है:

सीमित प्रीमियम अवधि (विकल्प I व विकल्प II) के अंतर्गत:

- चालू पॉलिसियों के लिए -अभ्यर्पण मूल्य का 90% तक।
- चुकता पॉलिसियों के लिए -अभ्यर्पण मूल्य का 80% तक।

एकल प्रीमियम अवधि (विकल्प III व विकल्प IV) के अंतर्गत – अभ्यर्पण मूल्य का 75% तक।

iii. पूर्ण: लोन अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज की दर, इस प्रोडक्ट हेतु लिए गए लोन की 1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम काम-काजी दिन पर छमाही चक्रवृद्धि दर से 10 वर्ष से अधिक नहीं हेतु जी-सेक दर +300 आधार अंक या निगम के असंबद्ध, असहभागी फ़ंड पर अर्जित आमदनी+100 आधार अंक, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। अगर बीमित व्यक्ति एक बालिका है और ऋण उसकी शिक्षा के लिए लिया गया है तो लागू ब्याज दर को 100 आधार अंक से घटा दिया जाएगा।

लेकिन 30 अप्रैल 2023 तक लागू वर्तमान ब्याज की दर छमाही चक्रवृद्धि दर से 9.5% वार्षिक होगी। तद्नुसार बालिका की शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर लागू ब्याज की दर छमाही चक्रवृद्धि दर से 8.5% वार्षिक होगी।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज के भुगतान से चूक करने पर तथा जब ब्याज के साथ ऋण की बुल बकाया राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाए, निगम के पास ऐसी पॉलिसियों की पूर्व–समाप्ति का अधिकार होगा। ऐसी पॉलिसियों पर अभ्यर्पण मूल्य तथा ब्याज सहित ऋण की बकाया राशि के अंतर, अगर कोई हो, का भुगतान किया जाएगा।

v. किसी बकाया लोन की ब्याज सहित वसूली, निकास के समय दावे की राशि से की जाएगी।

15. कुछ प्रकरणों में जब्ती

अगर यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, निजी कथन, घोषणा तथा संबंधित कागजातों में कोई गलत या असत्य कथन दिए गए हैं या किसी महत्त्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया है, तो ऐसे सभी मामलों में पॉलिसी अमान्य हो जाएगी तथा किसी भी हितलाभ से संबंधित सभी दावे समय –समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

16. पॉलिसी का समाप्त होना :

यह पॉलिसी निम्नांकित में से कोई भी घटना होते ही तुरंत और स्वत: समाप्त हो जाएगी::

ए) वह तिथि जिस पर एकमुश्त मृत्यु लाभ/मृत्यु लाभ की अंतिम किस्त का भुगतान होता है; या

बी) वह तिथि जिस पर इस पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण लाभों का निपटान कर दिया जाता है; या

सी) परिपक्वता की तिथि यदि निपटान विकल्प का उपयोग नहीं किया गया है; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्त का भुगतान हो जाने पर; या

ई) पैरा 14; में विनिर्धारित ऋण ब्याज के भुगतान में चूक होने पर; या

एफ) पुनर्चलन अवधि समाप्त होने पर, यदि वह पॉलिसी जिसने प्रदत्त स्थिति प्राप्त नहीं की है, पुनर्चलन अवधि के भीतर पुनर्चलन नहीं करवाई जाती है; या

जी) निशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि का भुगतान होने पर; या

एच) पैरा 15 में विनिर्धारित अनुसार जब्ती की दशा में।

17. कर:

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी।

प्रीमियमों पर पॉलिसीधारक द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि (मूल पॉलिसी और राइडरों के लिए, यदि कोई हो) अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हो, देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय किसी भी लाभ की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

18. निशुल्क अवलोकन अवधि::

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की तिथि से 30 दिनों के भीतर, आपत्तियों के कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी वापस की जा सकती है।

इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और हितलाभ, यदि कोई हो, के लिए), चिकित्सीय परीक्षण, (विशेष रिपोर्टों सहित, यदि कोई हों), पर हुए व्ययों और स्टाम्प शुल्क प्रभारों की कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

19. आत्महत्या संबंधी अपवर्जन:

ए) सीमित प्रीमियम अवधि (विकल्प I व विकल्प II) के अंतर्गत

i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम के शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी कुल अदा किए गए प्रीमियम्स में से (किसी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो, को छोड़कर,) मृत्यु की तिथि तक आने वाली राशि का 80% पाने का पात्र होगा। बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो। यह खंड उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश पर उम्र 8 वर्ष से कम हो।

ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुर्नचलन की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक कुल अदा किए गए कुल प्रीमियम्स (किसी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो) के 80% या मृत्यु की तिथि को उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य, में से जो भी अधिक हो, को पाने पात्र होगा। बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का पात्र नहीं होगा।

यह खंड लागू नहीं होगा :

ए) पुनर्चलन के समय पर जीवन बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम है; या

बी) पॉलिसी बिना कोई चुकता मूल्य अर्जित किए कालातीत हो जाती है और ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होता है.

बी) एकल प्रीमियम अवधि (विकल्प I व विकल्प II) के अंतर्गत

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम के शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी एकल अदा किए गए प्रीमियम्स में से (किसी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो, को छोड़कर,) आने वाली राशि का 80% पाने का पात्र होगा। यह खंड उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश पर उम्र 8 वर्ष से कम हो।

20. प्रतीक्षा अवधि :

अगर प्लान को पॉइन्ट ऑफ़ सेल्स पर्सन्स–लाइफ़ इंश्योरेन्स (POSP-LI) या CPSC-SPV के ज़रिए खरीदा जाता है, तो जोखिम के आरंभ होने की तिथि से पहले 90 दिनों के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, निगम अदा किए गए पूरे प्रीमियम्स को लौटा देगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो तथा मृत्यु दुर्घटना से न हुई हो। लेकिन, अगर प्रतीक्षा अवधि में मृत्यु का कारण दुर्घटना हो, तो पैरा 3ए में विनिर्धारित अनुसार मृत्यु हितलाभ देय होगा। यह प्रावधान तब लागू नहीं होगा अगर बीमित व्यक्ति की प्रवेश करने की उम्र 8 वर्ष से कम हो।

21. हितलाभ के नमूने का उदाहरण:

उदाहरणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और हितलाभ के प्रवाह को कुछ सीमा तक मात्रा के साथ समझ सके। यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन के लिए है जहां पॉलिसियों को एजेन्ट/मध्यावर्तियों के ज़रिए चुना गया है।

उदाहरण 1: विकल्प I – मृत्यु पर बीमा राशि वार्षिकीकृत प्रीमियम या मूल बीमा राशि का 7 गुना

उम्र	5 वर्ष	मूल बीमा राशि	₹5,00,000/–
परिपक्वता की उम्र	25 वर्ष	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
पॉलिसी की अवधि	20 वर्ष	जीएसटी दर (दूसरे वर्ष से):	2.25%
प्रीमियम भुगतान अवधि	7 वर्ष	नोट: जीएसटी दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी	
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम	वार्षिक	किस्त प्रीमियम	₹73,625/–

(राशि ₹ में)

पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति पर)	वार्षिकीकृत प्रीमियम[1] (संचयी)	गारंटीड एडीशन्स	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ
1	73,625	40,000	0	73,625
2	1,47,250	80,000	0	1,47,250
3	2,20,875	1,20,000	0	6,35,375
4	2,94,500	1,60,000	0	6,75,375
5	3,68,125	2,00,000	0	7,15,375
6	4,41,750	2,40,000	0	7,55,375
7	5,15,375	2,80,000	0	7,95,375
8	5,15,375	3,20,000	0	8,35,375
9	5,15,375	3,60,000	0	8,75,375
10	5,15,375	4,00,000	0	9,15,375
11	5,15,375	4,40,000	0	9,55,375
12	5,15,375	4,80,000	0	9,95,375
13	5,15,375	5,20,000	0	10,35,375
14	5,15,375	5,60,000	0	10,75,375
15	5,15,375	6,00,000	0	11,15,375
16	5,15,375	6,40,000	0	11,55,375
17	5,15,375	6,80,000	0	11,95,375
18	5,15,375	7,20,000	0	12,35,375
19	5,15,375	7,60,000	0	12,75,375
20	5,15,375	8,00,000	13,00,000	13,15,375

नोट:

1. वार्षिकीकृत प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम्स पर बारंबारता लोडिंग, राइडर्स के लिए अदा किए गए प्रीमियम्स, अगर कोई हो, तथा गुडस एंड सर्विस टैक्स शामिल नहीं है।

उदाहरण 2: विकल्प III – मृत्यु पर बीमा राशि एकल प्रीमियम या मूल बीमा राशि का 1.25 गुना

उम्र	5 वर्ष	मूल बीमा राशि	₹5,00,000/–
परिपक्वता की उम्र	25 वर्ष	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
पॉलिसी की अवधि	20 वर्ष	जीएसटी दर (दूसरे वर्ष से):	लागू नहीं
प्रीमियम भुगतान अवधि	एकल प्रिमियम	नोट: जीएसटी दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी	
प्रीमियम के भुगतान का माध्यम	एकल	एकल प्रिमियम	₹3,89,225/–

(राशि ₹ में)

पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति पर)	एकल प्रीमियम[1] (संचयी)	गारंटीड एडीशन्स	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ
1	3,89,225	40,000	0	3,89,225
2	3,89,225	80,000	0	3,89,225
3	3,89,225	1,20,000	0	6,20,000
4	3,89,225	1,60,000	0	6,60,000
5	3,89,225	2,00,000	0	7,00,000
6	3,89,225	2,40,000	0	7,40,000
7	3,89,225	2,80,000	0	7,80,000
8	3,89,225	3,20,000	0	8,20,000
9	3,89,225	3,60,000	0	8,60,000
10	3,89,225	4,00,000	0	9,00,000
11	3,89,225	4,40,000	0	9,40,000
12	3,89,225	4,80,000	0	9,80,000
13	3,89,225	5,20,000	0	10,20,000
14	3,89,225	5,60,000	0	10,60,000
15	3,89,225	6,00,000	0	11,00,000
16	3,89,225	6,40,000	0	11,40,000
17	3,89,225	6,80,000	0	11,80,000
18	3,89,225	7,20,000	0	12,20,000
19	3,89,225	7,60,000	0	12,60,000
20	3,89,225	8,00,000	13,00,000	13,00,000

नोट :

1. एकल प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम,अगर कोई हो, तथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स शामिल नहीं है।

बीमा अधिनियम,1938 की धारा 45 :

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम,1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे. वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है:

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण ख: इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति ''धोखाधड़ी'' से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है :–

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण II: बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानखबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभाथियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण– कोई व्यक्ति जो बीमा के अनुबंध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के हितलाभ की तिथि. जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या हितलाभ जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है:

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।
2. इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न धारा, समय–समय पर यथा संशोधित।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

"भारतीय जीवन बीमा निगम" की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरतंर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालय :
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.
वेबसाइट: www.licindia.in
पंजीकरण संख्या : 512